R.M.M Law College Saharsa
Birendra Kumar Trivedi
Part-Time Law Teacher

(प्रे03.09.19)

Sub- Evidence

प्रे॰ 1

प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा पारिस्थितिक साक्ष्य

किसी साक्ष्य के दो भेद होते हैं—

(1) प्रत्यक्ष साक्ष्य (2) पारिस्थितिक साक्ष्य (Circumstantial Evidence) किसी तथ्य के विषय में जब कोई साक्षी अपने ~~किसी~~ निजी ज्ञान के आधार पर कथन करता है या कोई वस्तु या दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश करता है तो वह प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाता है।

दूसरे हर प्रकार का साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य कहा जाता है। वह साक्ष्य भी दो श्रेणियों में विभाजित है। प्रथम निश्चायक (conclusive) होता है। दूसरा वह जिससे किसी तथ्य की यथार्थता की उपधारणा (presumption) मात्र की जा सके। जिस साक्ष्य की सहायता से विवाद्यक तथ्य और साबित किये गये तथ्यों का सम्बन्ध प्राकृतिक नियमों के अनुसार अवश्यम्भावी प्रतीत हो, वह साक्ष्य निश्चायक साक्ष्य की कोटि में आता है।

Scanned with CamScanner

जिस साक्ष्य से विवाद्यक तथ्य की यथार्थता सम्भाव्य होती है वह उसकी श्रेणी में आता है। सम्भाव्यता चाहे कितनी कम या अधिक मात्रा में हो।

प्रत्यक्ष साक्ष्य और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों साक्ष्य होने के नाते एक समान ही है दोनों का उद्देश्य एक ही होता है। यदि इनमें कोई भेद है तो यह कि पहला तो विवाद्यक तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से साबित करता है। किन्तु दूसरे। विशेष परिस्थितियों के सबूत के द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति करता है।

इन दोनों प्रकार के साक्ष्यों के भेद को एक साधारण दृष्टान्त से सुगमता से समझा जा सकता है। जैसे "क" के ऊपर यह आरोप लगे कि उसने "ख" पर लाठी प्रहार किया उसे चोट पहुंचायी। "ग" "र" "ल" "ब" यह बयान देता है कि क के ऊपर लगे आरोप को अपनी आंखों से देखा है फलस्वरूप "ख" को चोट आयी। यही प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जायेगा। किन्तु घटनास्थल पर यदि कोई उपस्थित ही नहीं था तब परिस्थितिजन्य वश साक्ष्य होगा।

Scanned with CamScanner